

ईमेल

संख्या- 1116(1)/एक-1-2021-रा0-1

प्रेषक,

महेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समेस्त

मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-1

विषय:- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2021 के संबंध में।
महोदय,

लखनऊ: दिनांक: 20 दिसम्बर, 2021

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-233 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2021 विषयक राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1097/एक-1-2021-रा0-1, दिनांक 16.12.2021 निर्गत की गयी है।
2- इस संबंध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2021 विषयक राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1097/एक-1-2021-रा0-1, दिनांक 16.12.2021 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 16.12.2021 में वर्णित व्यवस्थानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(महेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त संशोधन को राजस्व परिषद की वेबसाइट तथा इण्डिया कोड पोर्टल पर अपलोड करायें।
2. विशेष सचिव, राजस्व अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त संशोधन के क्रम में क्रियान्वयन आदेश निर्गत किये जाने के संबंध में अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

**UTTAR PRADESH SHASAN
RAJASWA ANUBHAG-1**

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no 1097/Ek-1-2021-R-1, dated December 16, 2021:

NOTIFICATION

No.1097/Ek-1-2021-R-1

Lucknow: Dated December 16, 2021

In exercise of the powers under section 233 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Revenue Code Rules, 2016:-

The Uttar Pradesh Revenue Code (Fourth Amendment) Rules, 2021

Short title and commencement 1. (1) These rules may be called Uttar Pradesh Revenue Code (Fourth Amendment) Rules, 2021.

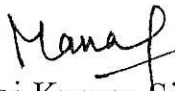
(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Amendment of rule 163 2. In the Uttar Pradesh Revenue Code Rules, 2016, for rule 163, the following rule shall be substituted, namely:-



Column-1	Column-2
Existing rule	Rule as hereby substituted
163. Every proclamation of sale of the property referred to in rule 161 shall be issued in R.C. Form-43 and a copy thereof shall be served on the defaulter as required by section 184(4).	163 (1) Every Proclamation of sale of the property referred to in rule 161 shall be issued in RC Form-43 and a copy thereof shall be served on the defaulter as required by section 184(4). (2) "The recovery of the amount contained in the recovery certificate received from the Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority, if the defaulter concerned does not deposit the amount, can also be done through e-auction of the immovable property of the defaulter."

Order by


 (Manoj Kumar Singh)
 Additional Chief Secretary

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-1097/एक-1-2021-रा0-1

लखनऊ: दिनांक 16 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 233 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं:-

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (चतुर्थ संशोधन) नियमावली,
2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2021 कही जाएगी।
(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 163 2. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016, में नियम का संशोधन 163 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

स्तम्भ-2

विद्यमान नियम

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

163. नियम 161 के अन्तर्गत विहित प्रत्येक सम्पत्ति के विक्रय की उद्घोषणा आर0सी0 प्रपत्र-43 में

163. (1) नियम 161 में निर्दिष्ट सम्पत्ति के विक्रय की प्रत्येक उद्घोषणा, आर0सी0 प्रपत्र-43 में

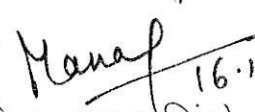
Manaf

निर्गत की जायेगी और इसकी एक प्रति धारा 184 (4) के अनुसार व्यतिक्रमी को भी तामील की जायेगी।

जारी की जायेगी और इसकी एक प्रति, धारा 184 (4) के अनुसार व्यतिक्रमी को तामील की जायेगी।

(2) "उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से प्राप्त वसूली प्रमाण-पत्र में अन्तर्विष्ट धनराशि की वसूली, यदि सम्बन्धित व्यतिक्रमी धनराशि जमा नहीं करता है, व्यतिक्रमी की अचल सम्पत्ति की ई-नीलामी के माध्यम से भी की जा सकती है।"

आज्ञा से,


(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव